22/8/ उपरावली पेश हुये पील वादिया व वादिया
स्वयं हाजिर पक्षी वकील प्रतिवादी हाजिर
कर-कर कर तीन बार से कविव
वादीया व वादीया के कविपक्ष दो साक्ष्य
लगायी गई न तो वादिया स्वयं उपस्थित तथा
ना ही वादिया की ओर से कोई साक्ष्य
उपस्थित अदालत हुआ कल वाद वादिया अदम
हाजरी क्रम पेशी में खारिज किया जाताहै
पत्रावली फैसल शुमार रजिस्टर नम्बर से
कर दी। वाद तामील तरमील दाखिल दफ्तर
हो।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner